



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-29082024-256733
CG-MH-E-29082024-256733

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 673]
No. 673]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 29, 2024/भाद्र 7, 1946
NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 29, 2024/BHADRA 7, 1946

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुंबई, 26 अगस्त, 2024

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्ती) (संशोधन) विनियम, 2024

सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/201.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

- इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्ती) (संशोधन) विनियम, 2024 कहा जा सकेगा।
- ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।
- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008 में, अध्याय-III के बाद और अध्याय-IV से पहले, निम्नलिखित अध्याय जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“अध्याय – IIIक

अन्य एंट्रियों से लेनदेन आदि (डीलिंग) करने पर पाबंदी

कुछ व्यक्तियों से ताल्लुक रखने पर पाबंदी

16क. (1) बोर्ड द्वारा जिस व्यक्ति को विनियमित (रेग्युलेट) किया जाता हो वह व्यक्ति या उस व्यक्ति का कोई एजेंट, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, ऐसे किसी दूसरे व्यक्ति से, जो -

- (i) किसी प्रतिभूति (सिक्यूरिटी) या किन्हीं प्रतिभूतियों के संबंध में, प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से, कोई सलाह या सुझाव आदि देता हो, तब तक कोई ताल्लुक नहीं रखेगा जब तक कि ऐसी सलाह या ऐसा सुझाव आदि देने के संबंध में वह बोर्ड से रजिस्टर न हो जाए या बोर्ड उसे इस संबंध में किसी और तरह की कोई मंजूरी न दे दे; या
- (ii) किसी प्रतिभूति (सिक्यूरिटी) या किन्हीं प्रतिभूतियों में निवेश करने पर होने वाले मुनाफों या उसके परफॉर्मेंस को लेकर किसी तरह का कोई दावा करता हो, तब तक कोई ताल्लुक नहीं रखेगा जब तक कि बोर्ड उसे ऐसा कोई दावा करने के संबंध में मंजूरी न दे दे:

परंतु यह कि यदि किसी निर्धारित डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए कोई ताल्लुक रखा जाए, तो ऐसे में इस उप-विनियम के प्रावधान लागू नहीं होंगे।

(2) बोर्ड द्वारा जिस व्यक्ति को विनियमित (रेग्युलेट) किया जाता हो, वह यह सुनिश्चित करेगा कि उससे या उसके एजेंट से ताल्लुक रखने वाला कोई व्यक्ति जरूरी मंजूरी लिए बिना उप-विनियम (1) के खंड (i) या खंड (ii) में बताए हुए कार्यों में न जुटे।

स्पष्टीकरण-1.- इस विनियम के प्रयोजनार्थ, शब्दों “बोर्ड द्वारा जिस व्यक्ति को विनियमित (रेग्युलेट) किया जाता हो उस व्यक्ति” का अर्थ होगा -

- (क) अधिनियम की धारा 12 के तहत बोर्ड से रजिस्टर कोई व्यक्ति;
- (ख) बोर्ड से रजिस्टर किसी म्यूचुअल फंड की कोई आस्ति प्रबंध कंपनी (असेट मैनेजमेंट कंपनी);
- (ग) बोर्ड से रजिस्टर किसी आनुकल्पिक निवेश निधि (ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड) या किसी अवसंरचना निवेश न्यास (इनविट) का कोई निवेश प्रबंधक (इन्वेस्टमेंट मैनेजर);
- (घ) बोर्ड से रजिस्टर किसी रियल इस्टेट निवेश न्यास का कोई प्रबंधक (मैनेजर)।

स्पष्टीकरण-2.- इस विनियम के प्रयोजनार्थ, शब्दों “ताल्लुक रखने” का अर्थ होगा -

- (क) पैसों का कोई लेनदेन आदि (ट्रांजैक्शन) करना या ऐसा कोई लेनदेन आदि करना जिसकी कीमत पैसों में आँकी जा सके;
- (ख) ग्राहक (क्लाइंट) बनाना;
- (ग) सूचना प्रौद्योगिकी (इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी) सिस्टम का इंटर-एक्शन;
- (घ) इसी तरह का कोई और ताल्लुक रखना।

स्पष्टीकरण-3.- इस विनियम के प्रयोजनार्थ, शब्दों “निर्धारित डिजिटल प्लेटफॉर्म” का अर्थ होगा - वह डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसका जिक्र बोर्ड ने किया हो, और जिसके अंतर्गत ऐसी व्यवस्था हो कि यदि डिजिटल प्लेटफॉर्म का कोई गलत इस्तेमाल करने की कोशिश करे तो उस गलत इस्तेमाल को पहले ही रोका जा सके और साथ ही कुछ गलत हो जाने पर उसे दुरुस्त भी किया जा सके, लेकिन वह व्यवस्था बोर्ड की नज़र में संतोषजनक होनी चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल उप-विनियम (1) के खंड (i) या खंड (ii) में बताए हुए कोई कार्य करने के लिए न किया जा सके।

स्पष्टीकरण-4.- शंकाएँ दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि इस विनियम में प्रयोग किए गए शब्दों “दूसरे व्यक्ति” में वह व्यक्ति शामिल नहीं होगा, जो निवेशक शिक्षण के कार्य में जुटा हुआ हो, बशर्ते कि वह व्यक्ति, प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से, जरूरी मंजूरी लिए बिना उप-विनियम (1) के खंड (i) या खंड (ii) में बताए हुए किसी कार्य में न जुटे।

16ख. बोर्ड, विनियम 16क के किसी प्रावधान का उल्लंघन हो जाने पर, ऐसी कार्रवाई कर सकेगा जो वह ठीक समझे, जिसमें इन विनियमों के अध्याय-V के तहत की जाने वाली कार्रवाई शामिल है।”

बबीता रायडू, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./442/2024-25]

पाद टिप्पण :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008, अधिसूचना सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2008/11/126538 द्वारा 26 मई, 2008 को भारत के राजपत्र, भाग-III, खंड-4 में प्रकाशित हुए थे।
2. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008 तत्पश्चात् :-
 - क) 11 अगस्त, 2008 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) (संशोधन) विनियम, 2008, अधिसूचना सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2008/20/134766, द्वारा
 - ख) 14 जुलाई, 2009 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्ती) (संशोधन) विनियम, 2009, अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2009-10/12/169546, द्वारा
 - ग) 7 जनवरी, 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता (निवेशक)] विनियम, 2014, अधिसूचना सं. एल.ए.डी.एन.आर.ओ./जी.एन./2013-14/36/12, द्वारा
 - घ) 25 मई, 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्ती) (संशोधन) विनियम, 2016, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/006, द्वारा
 - ङ) 21 नवम्बर, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्ती) (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2017-18/021, द्वारा
 - च) 17 अप्रैल, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2020, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एनआरओ/जीएन/2020/10, द्वारा
 - छ) 21 जनवरी, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्ती) (संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/07, द्वारा
 - ज) 5 मई, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्ती) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/20, द्वारा

- झ) 3 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/30, द्वारा
- ञ) 17 नवम्बर, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्ती) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/59, द्वारा
- ट) 1 अगस्त, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्ती) (संशोधन) विनियम, 2022, अधिसूचना सं. सेबी/आईएडी-एनआरओ/जीएन/2022/91, द्वारा संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 26th August, 2024

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (INTERMEDIARIES) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2024

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/201 .—In exercise of the powers conferred by section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992) the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008, namely: –

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2024.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008, after Chapter III and before Chapter IV, the following Chapter shall be inserted, namely, -

“CHAPTER IIIA

RESTRICTION IN DEALING WITH OTHER ENTITIES

Restriction in having association with certain persons

16A. (1) No person regulated by the Board or the agent of such a person shall have any direct or indirect association, with another person who-

- (i) provides advice or any recommendation, directly or indirectly, in respect of or related to a security or securities, unless the person is registered with or otherwise permitted by the Board to provide such advice or recommendation; or
- (ii) makes any claim, of returns or performance expressly or impliedly, in respect of or related to a security or securities, unless the person has been permitted by the Board to make such a claim:

Provided that the provisions of this sub-regulation shall not apply in respect of an association through a specified digital platform.

(2) The person regulated by the Board shall ensure that any person associated with it or its agent does not engage in the activities mentioned in clauses (i) or (ii) of sub-regulation (1) without the necessary permission.

Explanation 1. – For the purposes of this regulation, the expression “person regulated by the Board” shall mean –

- (a) a person registered with the Board under section 12 of the Act;
- (b) an asset management company of a mutual fund registered with the Board;
- (c) investment manager of an alternative investment fund or infrastructure investment trust registered with the Board;
- (d) manager of a real estate investment trust registered with the Board.

Explanation 2. – For the purposes of this regulation, the expression “association” shall mean-

- (a) a transaction involving money or money’s worth;
- (b) referral of a client;
- (c) interaction of information technology systems;
- (d) any other association of a similar nature or character.

Explanation 3. – For the purposes of this regulation, the expression “specified digital platform” shall mean a digital platform as specified by the Board, which has a mechanism in place to take preventive as well as curative action, to the satisfaction of the Board, to ensure that such a platform is not used for indulging in any activity as referred to in clause (i) or (ii) of sub-regulation (1).

Explanation 4. – For the removal of doubts, it is clarified that the term “another person” in this regulation shall not include a person who is engaged in investor education, provided that such a person does not, directly or indirectly, indulge in any activity as referred to in clause (i) or (ii) of sub-regulation (1) without the necessary permission.

16B. The Board may, in case of violation of any of the provisions of Regulation 16A, take such action as it may deem fit including action under Chapter V of these regulations.”

BABITHA RAYUDU, Executive Director

[ADVT.-III/4/Exty./442/2024-25]

Footnote:

1. The Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008 was published in the Gazette of India, Part III Section 4 on May 26, 2008 vide notification No. LAD-NRO/GN/2008/11/126538.
2. The Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008 was subsequently amended on: -
 - a) August 11, 2008 by the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Amendment) Regulations, 2008, vide notification No. LAD-NRO/GN/2008/20/134766.
 - b) July 14, 2009 by the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2009, vide notification no. LAD-NRO/GN/2009-10/12/169546.
 - c) January 7, 2014 by the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) Regulations, 2014, vide notification no. LAD-NRO/GN/2013-14/36/12.
 - d) May 25, 2016 by the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2016, vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2016-17/006.
 - e) November 21, 2017, by the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2017, vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2017-18/021.
 - f) April 17, 2020, by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2020, vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10.
 - g) January 21, 2021, by the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2021, vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/07.
 - h) May 5, 2021, by the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) (Second Amendment) Regulations, 2021, vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/20.
 - i) August 3, 2021, by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2021, vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/30.
 - j) November 17, 2021, by the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) (Third Amendment) Regulations, 2021, vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/59.
 - k) August 1, 2022, by the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2022, vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/91.